Date : 1 मार्च 2023

मकबरे व इस्लाम

संदर्भ- द हिंदू के अनुसार तुर्की, ईरानी व भारतीय मकबरे की विविधता के आधार पर इस्लामी दुनियाँ सजातीय नहीं थी। मकबरों की शैली मुगलकालीन व अन्य शासकों की धार्मिक अभिरुचि और मूल इस्लाम में आए परिवर्तन को निर्देशित करती है।

मकबरा- किसी व्यक्ति को दफनाने के बाद उस स्थल के ऊपर इमारत बनाई जाती है, यह परंपरा इस्लाम व ईसाई सम्प्रदाय में अपनाई जाती है। इस्लाम में इस इमारत को मकबरा कहा जाता है।

बारुद के आविष्कार ने तुर्की में ओटोमन, ईरान में सफाविद और भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। जिसका प्रयोग बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में मदद की और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी चीनी आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस को जाता है जिसने नवयुग की स्थापना की। तुर्की, ईरान व भारत तीनों क्षेत्रों में इस्लाम की स्थापना होने के बाद भी इसकी स्थाप्य कला में भेद दिखाई देता है, यह भेद, इस्लामी संस्कृति की विविधता पर आधारित है।

इस्लाम की स्वर्ग शैली-

- भारत में शासकों के मकबरों को इस्लाम में वर्णित इस्लाम के बगीचों, जिन्हें चारबाग कहा जाता है, के मध्य में बनाया गया है। चारबाग पद्धति में उद्यान को पथों या जलमार्गों द्वारा चार भागों में बांटा जाता है जिसके मध्य में मकबरे या मुख्य इमारतों को बनाया जाता था। बाबर द्वारा बनवाया गया रामबाग, मुगल शैली का सबसे प्राचीन चारबाग उद्यान है।

- हुमायूँ, अकबर, शाहजहाँ व जहाँगीर के मकबरे भव्य शैली में बनाए गए हैं, जिसे मुगल शैली का कहा जाता है। किंतु औरंगजेब के मकबरे को औरंगाबाद में साधारण बनाया गया है। यह इस्लाम के मूल रूप की सादगी को निर्देशित करता है।
- इन मकबरों को तत्कालीन पीरों की मजार के साथ बनाया गया था। मान्यता था कि पीर स्थल पवित्र होते हैं। इसका एक कारण और भी था कि उस समय पीरों के मकबरे लोकप्रिय तीर्थ स्थल थे।
- पीर, पैगंबर अर्थात अल्लाह से बात कराने का साधन नहीं थे किंतु उन्हें तत्कालीन समाज द्वारा अल्लाह तक पहुँचने का माध्यम माना जा रहा था जिसका शुद्धतावादी इस्लामियों ने विरोध किया।
- भारत में सबसे प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण 17वी शताब्दी में शाहजहाँ ने अपनी प्रिय रानी मुमताज महल के लिए करवाया था

ईश्वर की सर्वोच्चता शैली

- समाज पर सूफियों के करीश्मों के अत्यधिक प्रभाव हो चुका था। शासक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को खलीफा या इमाम के साथ सूफी संतों के समर्थन की भी आवश्यकता थी। खलीफा का अर्थ है- उत्तराधिकारी, जबकि खलीफा का पद का गठन पैगम्बर मुहम्मद की मृत्यु के बाद लोगों की आम सहमति से इस्लामिक समुदाय की व्यवस्था के लिए किया गया था।
- ईश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करने वालों को सुन्नी व इस्लाम के रहस्यवाद सोच को शिया का समर्थन प्राप्त हुआ। ओटोमन्स ने सुन्नी मार्ग व सफाविदों ने शिया सोच को महत्व दिया।
- तुर्की साम्राज्य के विस्तार के बाद तुर्की शासकों ने स्वयं को खलीफा कहा और अब उन्हें अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए किसी सूफी के समर्थन की आवश्यकता नहीं रह गई थी। अतः मकबरों को अब भव्यता देना भी जरुरी नहीं समझा गया। अतः ईश्वर को उसके साधारण रूप में मान्यता दी गई।
- इसका उदाहरण मदीना में पैगम्बर मुहम्मद साहब का साधारण मकबरा है। भारत में इसका अनुकरण करने का प्रयास औरंगजेब के मकबरे में मिलता है। किंतु औरंगजेब नक्सबंदी सिलसिले का अनुयायी था। यह सिलसिला शरीयत अर्थात इस्लामी कानून को महत्व देते थे।

नव इस्लाम

- ईश्वर की सर्वोच्चता के साथ सूफीवाद की धारा इस्लाम का एक मुख्य पहलू है जिसे शिया भी कहा जाता है। सूफी परंपरा को सफाविदों ने अपनाया। ईरान के शासकों ने स्वयं को पवित्र नूर की संज्ञा दी थी।
- सफाविद सम्राट, सूफी दरगाहों से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। शाही परिवारों को सूफी संप्रदाय के सदस्यों के साथ दफनाया जाता था। ईरान की सूफी परंपरा के साथ सम्राट की सर्वोच्चता के नए सिद्धांत के संयोजन से अकबर के काल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर केंद्रित है और यहां 150 से अधिक मुगलों को दफनाया गया है।
- अकबर, आध्यात्मिक व राजनैतिक नेता, दोनों बनना चाहता था। इसके लिए अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की जहाँ सभी धर्मों के विचारों के समन्वय का प्रयास किया

गया जिसमें हिंदू व इस्लाम प्रमुख थे। यह विचार धर्म के रूप में विकसित न हो सका किंतु यह विचार हिंदू मुस्लिम संस्कृति के रूप में भारत में विकसित हुआ।

- अकबर की सर्वोच्च सम्राट की नीति शाहजहां और औरंगजेब के समय कुछ कम हुई क्योंकि इन सम्राटों को प्रतिद्वंदियों से सामना करने के लिए उलमा के समर्थन की आवश्यकता होने लगी। ऐतिहासिक रूप से उलमा एक शक्तिशाली वर्ग था। इस्लाम में किसी पुरोहित की प्रकृति का वर्णन तो नहीं है किंतु उलमा ने इस्लाम समाज में धार्मिक व न्यायिक रूप से सम्राटों के निर्णयों पर प्रभाव डाला है।

गुंजन जोशी

भारतीय विश्वविद्यालय

संदर्भ- ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय, भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। गुजरात राज्य के गिफ्ट सिटी में स्वतंत्र परिसर के रूप से इसकी स्थापना होनी है।

डीकिन विश्वविद्यालय-

- ऑस्ट्रेलिया में स्थित डीकिन विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 1% विश्वविद्यालयों में से एक है। यह क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 266 वे स्थान पर है। इसके साथ ही विश्व के शीर्ष 50 युवा विश्वविद्यालयों में से एक है।
- ऑस्ट्रेलिया में डीकिन विश्वविद्यालय के 4 परिसर हैं- मेलबोर्न (बरवुड), जिलॉन्ग(वॉर्न पॉन्ड्स और वाटरफ्रंट) और वारनमबूल। इनमें सर्वाधिक छात्र मेलबोर्न के बरवुड परिसर में है।
- विश्वविद्यालय के परिसरों में विश्व के 132 देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करते है। इसमें पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में सर्वाधिक 27% छात्र भारतीय हैं।

विदेशी (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2023 का उद्देश्य विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाण पत्र कार्यक्रम के संचालन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश व संचालन को विनियमित करना है।

नई शिक्षा नीति 2020

- भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लागू की गई थी।
- उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात 50% तक करना है। इसके तहत 3.5 करोड़ नई तकनीकों को जोड़ना है।
- इसके तहत मल्टीपल एंट्री व एक्जिट सिस्टम को शुरु किया गया है। जिसके तहत कोर्स के मध्य में कोर्स को छोड़ने पर वह कोर्स की वर्तमान स्टेज का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा।
- इसके अनुसार विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अब भारत में अपने परिसर स्थापित कर सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रतिभा पलायन को रोकना व देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

चुनौतियाँ-

विदेशों के शिक्षण संस्थानों में भारतीय विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क लगभग 55 – 70 लाख तक होता है जो भारत के निजी संस्थानों के शुल्क से 50% अधिक है। इसके साथ ही भारत के सार्वजनिक संस्थानों में शुल्क 100% अधिक है। इससे समाज में शिक्षा की दृष्टि से एक खाई उत्पन्न हो सकती है।

विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश के प्रभाव से भारतीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश महंगा हो सकता है। यह आर्थिक रूप से अक्षम वर्ग के लोगों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को बाधित कर सकता है। और उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कम कर सकता है।

वर्तमान डिजीटल शैक्षिक वातावरण में भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के अवसर के समय विदेशी शिक्षा पद्धति को मंच प्रदान करने भारतीय शिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पिछड़ सकते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा

भारत, प्राचीन काल से विश्व गुरु रहा है। भारत के ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान तक्षशिला, नालंदा व उज्जैन थे। जहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के साथ विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। इनकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि छात्रों के प्रवेश से पहले छात्रों को प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। छठी शताब्दी से आक्रमणकारियों द्वारा इनका पतन शुरु हुआ और 13वी शताब्दी तक पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।

भारत में उच्च शिक्षण संस्थान जब समाप्त किए जा रहे थे यूरोप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही थी। जो वर्तमान में दुनियाँ की सर्वोच्च संस्था है, जो ब्रिटेन में एक अलाभकारी संस्था है। आधुनिककाल जिसे ब्रिटिश काल भी कहा जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा की स्थापना को पुनः वरीयता दी गई किंतु भारतीय उच्च शिक्षा अब यूरोपीय शिक्षण संस्थानों के अनुकरण पर 1857 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में लगभग 850 विश्वविद्यालय है।

विश्वविद्यालय-

ऐसे शैक्षिक संस्थान जिनमें किसी विशेष विषय में विद्वता प्राप्त की जाती है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला में था। जहाँ 60 से अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार केंद्रीय या राज्य अधिनियम और यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय को ही संसदीय अधिनियम द्वारा उपाधि प्रदान करने का अधिकार है। ऐसे संस्थान ही **'विश्वविद्यालय'** कहे जाएंगे।

भारत में शिक्षा की संवैधानिक स्थिति

संविधान में शिक्षा को 1976 के 42 वे संशोधन के अनुसार समवर्ती सूची में रखा गया है।

निजी संस्थानों को लाभ का एक साधन माना जाता है किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे धर्मार्थ संस्था के रूप में निरुपित किया है, जिसका अवैध लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अतिरिक्त राजस्व एकत्र होने पर उसका प्रयोग शैक्षिक संस्थानों के विकास के लिए किया जाना चाहिए।

राधाकृष्ण आयोग में तत्कालीन (1948) उच्च शिक्षा की समस्याओं के विषय की जाँच तथा समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिए गए जैसे – विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन और सेवा के विषय में सुझाव देना, सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में छात्रों को अवगत कराना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना आदि।
इसी प्रकार कोठारी आयोग 1968 में प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित एक अन्य आयोग था। प्राथमिक शिक्षा के सात इसमें उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं और औद्योगिक शिक्षा को शामिल किया गया।
1986 में एक अन्य शिक्षा नीति लागू की गई इसे शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति कहा गया। इसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा तीनों पहलुओं पर ध्यान दिया गया। उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता हासिल करने के पक्ष पर फोकस किया गया।

स्रोत

- Indianexpress.com
- yojnaias.com

गुंजन जोशी

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com